

मैत्रेयी कॉलेज: नई दिल्ली- 110 021
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
फॉर्म 3

ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निधि और दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी समूह बीमा योजना के लिए सामान्य नामांकन फॉर्म

[केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 46, सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के नियम 5 और दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 देखें]

मैं,, इसके द्वारा व्यक्ति/व्यक्तियों को नामांकित करें नीचे उल्लिखित है और उसे/उसे मेरी मृत्यु की स्थिति में, नीचे निर्दिष्ट सीमा तक, निम्नलिखित के कारण राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ:

मैं। कोई भी ग्रेच्युटी जिसका भुगतान सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 44 और नियम 45 के तहत अधिकृत किया जा सकता है

द्वितीय. वह राशि जो सामान्य भविष्य निधि में मेरे खाते में जमा हो सकती है

iii. कोई भी राशि जो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय दिल्ली कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के तहत स्वीकृत की जा सकती है

नामांकित व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि (डीओबी) और पता- कर्मचारी/पेंशनभोगी के साथ संबंध - प्रत्येक को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, तो उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता जो नाबालिग की ओर से राशि प्राप्त कर सकता है नाम, जन्मतिथि यदि कॉलम (1) के तहत नामांकित व्यक्ति की मृत्यु कर्मचारी से पहले हो जाती है, तो वैकल्पिक नामांकित व्यक्ति का संबंध और पता, प्रत्येक को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा, नाम, जन्मतिथि और उस व्यक्ति का पता, जो कॉलम में वैकल्पिक नामित होने पर राशि प्राप्त कर सकता है।

(5) एक छोटी सी आकस्मिकता है जिसके घटित होने पर नामांकन अवैध हो जाएगा

: ये नामांकन मेरे द्वारा पहले किए गए किसी भी नामांकन का स्थान लेते हैं।

स्थान और तारीख: सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर मोबाइल नंबर।

नोट 1: उन लाभों को पूरी तरह से हटा दें जिनके लिए नामांकन नहीं किया जाना है। उपरोक्त लाभों (i), (ii) और (iii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नामांकित करने के लिए इस नामांकन फॉर्म की अलग-अलग प्रतियों का उपयोग किया जा सकता है

नोट 2: सरकारी कर्मचारी को हस्ताक्षर करने के बाद किसी भी नाम को सम्मिलित करने से रोकने के लिए अंतिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान पर रेखाएँ खींचनी चाहिए।

नोट 3: नामांकित व्यक्ति/वैकल्पिक नामांकित व्यक्ति के शेरों को मिलाकर पूरी राशि कवर होनी चाहिए।

(कार्यालय प्रमुख/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाए)

निम्नलिखित नियमों के तहत नामांकन, दिनांक प्राप्त हुए:-

1. ग्रेच्युटी के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021

2. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960

3. विश्वविद्यालय दिल्ली कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980

श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा बनाया गया.....

पद का नाम.....

कार्यालय.....

(जो नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है उसे काट दें)

सत्यापित किया गया है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया नामांकन प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों के अनुसार है/हैं। नामांकन की प्राप्ति की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के पृष्ठ खंड में की गई है

कार्यालय प्रमुख/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम, मुहर सहित प्राप्ति की तारीख.....

प्राप्तकर्ता अधिकारी उपरोक्त जानकारी भर देगा और पूर्ण फॉर्म की एक विधिवत हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को लौटा देगा, जिसे इसे सुरक्षित हिरासत में रखना होगा ताकि यह उसकी मृत्यु की स्थिति में लाभार्थियों के कब्जे में आ सके।

प्राप्तकर्ता अधिकारी इस फॉर्म के दोनों पृष्ठों पर अपना दिनांकित हस्ताक्षर करेगा।